दिनांक 17.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 25/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 हजार 670 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को थाना बिन्दकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–मो0रफीक 2–निसार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 11 हजार 670 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मो0रफीक के विरूद्ध जनपद फतेहपुर व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त निसार के विरूद्ध जनपद फतेहपुर, कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0रफीक निवासी तुराबअली का पुरवा थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।

2–निसार निवासी लक्ष्मनपुर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–11 हजार 670 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना सुल्तानपुर घोष

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नौबस्ता के पास से 02 अभियुक्तों 1–शीनू 2–हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सुल्तानपुर घोष पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शीनू निवासी अडारूपुर थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

2–हिमांशु कुमार निवासी मड़ईहार थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना मेरठ

- **मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 614 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को एएनटीएफ थाना मेरठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लिसाडी चौराहा के पास थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ से मादक पदार्थ की

तस्करी कर रहे अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 614 ग्राम अवैध स्मैक, 02 मोबाइल फोन, 01 कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष कुमार निवासी ग्राम कुण्डा थाना परतापुर जनपद मेरठ, हालपता द्वारिकापुरी थाना ब्रम्ह्मपुरी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 614 ग्राम अवैध स्मैक।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 कार।

जनपद चन्दौली/थाना कोतवाली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 53 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 डम्फर ट्रक बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाराणसी टोल प्लाजा के पास से 02 अभियुक्तों 1—कृष्णा 2—अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 53 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 डम्फर ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कृष्णा निवासी बांधडीह थाना जरडीह जनपद बोकारो झारखण्ड।

2–अमित कुमार निवासी धमौर थाना शाहपुर जनपद आरा बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 53 लाख रूपये कीमत के 02 कुन्तल 10 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 डम्फर ट्रक।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 47 हजार रूपये नगद**
- **धोखाधड़ी के सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वैभव हैरिटेज तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–राहुल 2–हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 47 हजार रूपये नगद, धोखाधड़ी के सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम बिसाडा थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–हिमांशु उर्फ वर्षो निवासी दौलतराम कॉलोनी थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 47 हजार रूपये नगद।

2–धोखाधड़ी के सोने के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना पुरकाजी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 किलोग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 17.10.2024 को थाना पुरकाजी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जहीरपुर कट के पास से 02 अभियुक्तों 1—कपिल 2—वसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कपिल निवासी ग्राम परासौली थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

2—वसीम निवासी मो0चन्देडी रोड मण्डी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—03 किलोग्राम अवैध चरस।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना मालीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 11 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना मालीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—रामपूजन 2—अमरजीत को आजीवन सश्रम कारावास व प्रत्येक को 11 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद महोबा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत

अभियुक्त मुन्ना को कठोर आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना कौशाम्बी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10/05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त मो0सैफ उर्फ अइनुल को धारा 363/366/368 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त मो0कपील को धारा 368 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व प्रत्येक को 11 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वसीम 2–फरमान 3–शादाब को 10–10 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 11 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 459/2023 मे वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी संदीप गुप्ता, अलवर (राजस्थान) से गिरफ्तार।</u>

दिनाक 17–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 459/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी संदीप गुप्ता को अलवर (राजस्थान) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

संदीप गुप्ता पुत्र संत गुप्ता, निवासी रक्सा डौनिया, थाना पकडी, जनपद बलिया।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

एम0आई0ए0 औद्योगिक नगर, थाना औद्योगिक नगर, जनपद अलवर (राजस्थान)। दिनांक 17–10–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान अपराधी संदीप गुप्ता की जनपद अलवर (राजस्थान) में लुकछिप कर रहने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर उ0नि0 श्री शाहजादा खॉ एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम को अलवर (राजस्थान) भेजा गया। वहॉ पर धरातलीय अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी संदीप गुप्ता एम0आई0ए0 औद्योगिक नगर, थाना औद्योगिक नगर, जनपद अलवर (राजस्थान) के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर संदीप गुप्ता उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछतांछ से पाया गया कि अभियुक्त संदीप गुप्ता कुख्यात अन्तर्राज्यीय पशु तस्कर है। संदीप गुप्ता अपने गिरोह के सदस्यों के साथ पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से दुधारू गोवंश पशुओं की तस्करी कर पण्डुआ (प0बंगाल) में ले जाकर ऊॅचे दामों पर वहॉ के स्थानीय पशु तस्करों को बेच दिया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 04–10–2023 को जनपद मऊ के थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत

मधुबन मोड़ के पास स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि एक वाहन आते हुये दिखायी दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किये जाने पर संदीप गुप्ता वाहन को मय पशुओं सहित छोडकर मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में थाना घोसी पर मु0अ0सं0 459/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, जिसमें संदीप गुप्ता पर स्थानीय पुलिस द्वारा रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया। संदीप गुप्ता तभी से अलवर (अलवर) राजस्थान में लुकछिप कर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त संदीप गुप्ता को मा0 न्यायालय जनपद अलवर(राजस्थान) में प्रस्तुत कर, पुलिस ट्रांजिट रिमाण्ड लिये जाने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–विभिन्न बैंकों के एक्टिव एटीएम कार्ड, विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के सिम कार्ड व कूटरचित आधार कार्ड तैयार कर नूँह मेवात (हरियाणा) व दिल्ली के साईबर अपराधियों को बेचने वाले साईबर अपराधी गैंग का एक सक्रिय सदस्य आगरा से गिरफ्तार।

दिनॉकः 17–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विभिन्न बैंकों के एक्टिव एटीएम कार्ड, विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के सिम कार्ड व कूटरचित आधार कार्ड बनाकर नूँह मेवात हरियाणा व दिल्ली के साईबर अपराधियों को बेचने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– शाहरूख खान पुत्र हाजी हमीद हुसैन निवासी मो0 शेरखान 731, कस्वा अछनेरा अरूआखास थाना अछनेरा, जनपद–आगरा।

बरामदगीः

1–10 अदद मोबाइल सिम एक्टिव।

2–14 अदद एक्टिव बैंक एटीएम कार्ड।

3–02 अदद बैंक पासबुक

4–01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन।

5—01 अदद आधार कार्ड मूल

6—01 अदद आधार कार्ड कूटरचित छायाप्रति

7—01 अदद पैन कार्ड

8—01 अदद डी0एल0

9—01 अदद कार आई—20 नम्बर यू0पी0 80 एफएम 9146

10— रू0 600/— नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

खन्दारी चौराहा से शीतला मार्ग, थाना क्षेत्र न्यू आगरा, आगरा दिनांक 17—10—2024 समय 00.30 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से आगरा/मथुरा क्षेत्र में विभिन्न बैंक के एक्टिव एटीएम कार्ड व विभिन्न मोबाइल कम्पनियों के सिम कार्ड एवं कूटरचित आधार कार्ड तैयार करके नूॅह मेवात (हरियाणा) व दिल्ली के साईबर अपराधियों को बेचने वाले गैंग के बारे में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 17—10—2024 को निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 श्री राजपाल सिंह मु0आ0 अरविन्द सिंह मु0आ0 विमल कुमार आरक्षी प्रदीप कुमार चौधरी आरक्षी हरपाल सिंह एस0टी0एफ0 आगरा की टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्‌देश्य से भ्रमणषील थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि नूॅह मेवात (हरियाणा) व दिल्ली के साईबर अपराधियों को एटीएम कार्ड, सिम कार्ड एवं कूटरचित आधार कार्ड बेचने वाले गैंग का सक्रिय सदस्य खन्दारी चौराहा के पास किसी का इन्तजार कर कर रहा है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर आवष्यक घेराबन्दी करते हुए उक्त गैग के 01 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग गॉव देहात के लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी आई0डी0 के आधार पर विभिन्न बैकों में खाता खुलवा देते है तथा उन लोगों को प्रत्येक खाते के एवज में 10–12 हजार रूपये दे देते है। उनके बैंक के एटीएम कार्ड, पासबुक (बैंक किट) बैंक खाते से लिंक वाले मोबाइल नम्बर ले लेते है। उक्त किट/खाता धारक की सिम व एटीएम को साईबर अपराधियों को 15–20 हजार रूपये प्रति किट बेचते है। इससे पूर्व भी दो–तीन बार बैंक खाते की किट बेच चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना न्यू आगरा, आगरा में मु0अ0सं0 405/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) वीएनएस व 66 सी व 66 डी0 आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ0–थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2024 में वांछित एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त महफूज गिरफ्तार।</u>

दिनांक 17–10–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2024 धारा 147, 148, 307, 323, 504, 506, 120बी भादवि में वांछित एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त महफूज को जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>:–

1. महफूज पुत्र गयास उर्फ गयासुद्दीन निवासीग्राम गोकुला, थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>:–

1. 200 रूपये नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>:–

गोकुला मोड़ इदगाह के पास, थानाक्षेत्र जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़, दिनांकः 17–10–2024 समय 13.15 बजे।

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिय जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षीगण हबीब सिद्दीकी, पंकज तिवारी, साजित अली, अमित शर्मा, विकास तिवारी, पुनीत कुमार पाण्डेय व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद प्रतापगढ़ में आपराधिक अभिसूचना संकलन की कार्यवाही में भ्रमणशील थी। इस दौरान थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2024 में वांछित रू0 50,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त महफूज की प्रतापगढ़ में मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा गोकुला मोड़ इदगाह के पास थानाक्षेत्र जेठवारा, जनपद प्रतापगढ पहुॅचकर उपरोक्त अभियुक्त को समय 13:15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त महफूज ने पूंछताछ में बताया कि दिनांक 21-06-2024 को प्रातः 09.00 बजे महेन्द्र यादव पुत्र भारत लाल निवासी सराय देवराय, जेठवारा, प्रतापगढ़ अपनी बाइक से फाइनेन्स कार्यालय जा रहा था, उससे पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के कारण महफूज अपने साथी आले हसन, रूस्तम, मेराज, सुहेल व रिजवान के साथ मिलकर उसकी बाइक रास्ते में रोककर जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डा, सरिया आदि से मारपीट की गयी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था जिससे महफूज गिरफ्तारी से बचने के लिए मुम्बई भाग गया था। हाल ही में किसी काम से वापस आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त महफूज को थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 150/2024 धारा 147, 148, 307, 323, 504, 506, 120बी भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त महफूज उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास।

क्र0 सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	390/2019	323/342/427/504/506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
2	423/2021	323/504/506/325/307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
3	150/2024	147, 148, 307, 323, 504, 506, 120बी भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़

————————